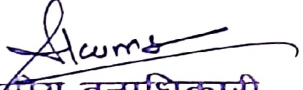


(75) 57(A)

प्रमाण पत्र

कार्य का नाम:- जनपद चमोली के अन्तर्गत कुलिंग दिदिना मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 6.459 है० वन भूमि गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना के अन्तर्गत मलवा निस्तारण स्थल के वृक्षों का पातन किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।


प्रमाणित वनाधिकारी
वद्रीनाथ वन प्रभाग
गोपेश्वर

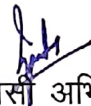

अधिशासी अभियन्ता
नि०ख०, लो० नि० वि०
भराली

44(A)
(76)

प्रमाण पत्र

कार्य का नाम:- जनपद चमोली के अन्तर्गत कुलिंग दिदिना मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 6.459 है० वन भूमि गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

उक्त परियोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित स्थल के स्लोप को बेंचेस मे विभाजित कर Stabilized किया जाएगा।

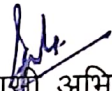
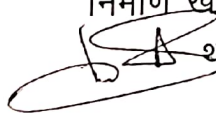

अधिशाली अभियन्ता
नि०ख०, लो०नि०वि०
थराली

33(A)
77

प्रमाण पत्र

कार्य का नाम:- जनपद चमोली के अन्तर्गत कुलिंग दिदिना मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 6.459 है० वन भूमि गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

उक्त परियोजना के अन्तर्गत डम्पिंग यार्ड को जनपयोगी कार्यो हेतु उपयोग में लाया जायेगा।


अधिशायी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
 थराली

प्रमाण पत्र

कार्य का नाम:- जनपद चमोली के अन्तर्गत कुलिंग से दिदिना मोटर मार्ग निर्माण हेतु 6.459 है० वनभूमि हस्तान्तरण के संबंध में।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा मलवा निस्तारण हेतु प्रस्तावित स्थल को मलवा डाले जाने के पश्चात आवश्यकतानुसार समतलीकरण कर जनउपयोगी कार्यो हेतु उपयोग में लाये जाने हेतु कार्य योजना तैयार किया जायेगा।

अधिशाली अभियन्ता

नि०ख०, लो०नि०वि०

मो० शराली

प्रमाण पत्र

कार्य का नाम:- जनपद चमोली के अन्तर्गत कुलिंग से दिदिना मोटर मार्ग निर्माण हेतु 6.459 है० वनभूमि हस्तान्तरण के संबंध में।

उक्त परियोजना के अन्तर्गत मलवा निस्तारण हेतु प्रस्तावित स्थल को मलवा डाले जाने के पश्चात क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए मलवे को इस प्रकार सुव्यवस्थित ढंग से स्थिरीकरण किया जायेगा। कि प्रस्तावित स्थल को वृक्षारोपण हेतु उपयोग में लाया जा सके।

अधिसासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
चमोली

प्रमाण पत्र

कार्य का नाम:- जनपद चमोली के अन्तर्गत कुलिंग से दिदिना मोटर मार्ग निर्माण हेतु 6.459 है० वनभूमि हस्तान्तरण के संबंध में।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी के साथ तालमेल रखते हुए प्रस्तावित मलवा निस्तारण स्थल को इस प्रकार उपयोग में लाया जायेगा कि अन्य स्थलों पर भी इस तकनीकी को मलवा निस्तारण हेतु अपनाया जा सके।

अधिशायी अभियन्ता

नि०ख०,लो०नि०वि०

(अश्वराली)